न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
22/2024	18/03/2024	15/2/2025

1. मेघश्याम मीना पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा निवारी ग्राम ककरावदा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

–बनाम–

1 नाबालिक आशिष पुत्र स्व. रामशंकर जर्ये वली माता गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. चमेली पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. नाबालिक टीना पुत्री स्व. रामशंकर जर्ये वली माता गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरावदा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. नाबालिक भावना पुत्री स्व. रामशंकर जर्ये वली माता गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
7. रामेश्वर पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
8. सीता पुत्री गोपाल जाति मीणा समस्त निवासीग ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट

संक्षेप में वाद इस प्रकार है कि ग्राम ककरावदा पटवार हल्का ककरावदा भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बौरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या नया 69 व पुराना 69 का खसरा संख्या 28 रकबा 3.90 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.90 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिसमे वादी का 1/6 हिस्सा निहित है जिसे वाद पत्र की आगे कि मदों मे विवादित आराजी कहा गया है।

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी

यह कि विवादित आराजी वादी के संयुक्त खाते व कब्जा काश्त की आराजी है, जिसमे वादी का नाम मेघराज पुत्र गोपाल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जो कि वादी के बचपन का नाम है, किन्तु बाद के अन्य रिकॉर्ड पहचान पत्र, जॉब कार्ड राशनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक डायरी, आयकारी विभाग, जनआधार कार्ड आदि मे वादी का नाम मेघश्याम पुत्र गोपाल दर्ज है दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है किन्तु वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड मे त्रुटिपुर्वक मेघश्याम पुत्र गोपाल के स्थान पर मेघराज पुत्र गोपाल दर्ज हो रहा है वादी के दो भिन्न–भिन्न रिकॉर्ड व नाम हो जाने के कारण वादी को कृषि विकास कार्यों को करवाने बैंक लोन आदि लेने मे काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है इस कारण वादी अपने राजस्व रिकॉर्ड मे मेघश्याम पुत्र गोपाल जाति मीणा के नाम से घोषणा करवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

वादी द्वारा यह निवेदन किया है कि वादी का नाम मेघश्याम पुत्र गोपाल के स्थान पर मेघराज पुत्र गोपाल हो जाने के कारण वादी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं वादी ने प्रतिवादी क्रम 9 तहसीलदार पीपल्दा से कई बार राजस्व रिकॉर्ड की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने बाबत् निवेदन किया उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया इस कारण वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया है।

वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 ता 8 को संयुक्त खातेदार होने के कारण वाद में पक्षकार बनाया गया है उनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

यह कि प्रतिवादी क्रम 09 राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 C-P-C का नोटिस मियादी 2 माह का देना अनिवार्य है लेकिन वादी द्वारा निवेदन किया कि नाम दुरूस्त नहीं होने के कारण वादी को अनेक प्रकार कि समस्याओ का सामना करना पड रहा है। इसलिये वाद आवश्यक प्रकति का होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष पृथक से 80(2) C-P-C का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष मे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय कि डिक्री पारित फरमायी जावे:–

(अ) कि विवादित आराजी ग्राम ककरावदा पटवार हल्का ककरावदा भू0 अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या नयी 69 व पुरानी 69 की खसरा संख्या 28 रकबा 3.90 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.90 हैक्टेयर भूमि मे वादी का नाम मेघराज पुत्र गोपाल के स्थान पर मेघश्याम पुत्र गोपाल दर्ज किया जावें, तथा वादी का गलत नाम मेघराज पुत्र गोपाल जाति मीणा राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावें। तथा मेघश्याम पुत्र गोपाल जाति मीणा के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी न्यायालय श्रीमान उचित समझे वादी को प्रदान कि जावें।

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
सुल्तानपुर

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जरिये समन करवायी गई। प्रतिवादी क्र0 05, 07 की तलबी जरिये नोटिस करवाने के बावजूद प्रतिवादी न तो स्वयं उपस्थित हुआ और न ही उनकी और से कोई उनका प्रतिनिधि उपस्थित हुआ अतः प्रतिवादी क्र0 05, 07 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई शेष प्रतिवादी क्र0 01, 02, 03, 04, 06, 08 की और इकबाली जवाब पेश जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब सरकार में नियत की गई प्रतिवादी क्र0 09 तहसीलदार पीपल्दा को जवाब सरकार पेश करने हेतु कई अवसर दिए गए अनेक अवसर देने उपरान्त भी तहसीलदार पीपल्दा द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर जवाव सरकार बन्द किया जाकर पत्रावली वास्ते बहस में नियत की गई।

उभपक्षकाराना की बहस सुनी गई प्रकरण में वकील वादी द्वारा दौराने बहस वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न रिकॉर्ड अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में मेघराज पुत्र गोपाल के स्थान पर मेघश्याम पुत्र गोपाल करने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वाद में प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब पेश किया है। वादी द्वारा वाद में प्रस्तुत रिकॉर्ड, पहचान पत्र, जनआधार कार्ड, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि में वादी का नाम मेघश्याम पुत्र गोपाल दर्ज है।

उक्त विवेचन के आधार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ककरावदा पटवार हल्का ककरावदा भू0 अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या नयी 69 व पुरानी 69 की खसरा संख्या 28 रकबा 3.90 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.90 हैक्टेयर भूमि मे वादी का नाम मेघराज पुत्र गोपाल के स्थान पर मेघश्याम उर्फ मेघराज पुत्र गोपाल दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

मेरे द्वारा निर्णय सरे इजलाश सुनाया गया।

Ramniwas

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

तारीख हुक्म	हु...
...पेश...

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्ताई
(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा (राज)
पीठासीन अधिकारी– रामनिवास मेहता आर.ए.एस.

मिसल न. 22 / 2024

तारीख दायरा 18 / 03 / 2024

तारीख फैसला 15/2/2025

1. मेघश्याम मीना पुत्र श्री गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरावदा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज०

वादी

–बनाम–

1 नाबालिक आशिष पुत्र स्व. रामशंकर जर्ये वली माता गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
2. गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
3. चमेली पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
4. नाबालिक टीना पुत्री स्व. रामशंकर जर्ये वली माता गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
5. धन्नालाल पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम ककरावदा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
6. नाबालिक भावना पुत्री स्व. रामशंकर जर्ये वली माता गुड्डीबाई पत्नी स्व. रामशंकर जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
7. रामेश्वर पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
8. सीता पुत्री गोपाल जाति मीणा समस्त निवासीग ककरावदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा तह० पीपल्दा जिला कोटा राज0।

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर0टी0एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री वावुलाल बैरवा एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू 15/2/25 मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम ककरावदा पटवार हल्का

Ramniwas
उपखण्ड अधिकारी
इटावा

क्रम० ८

ककरावदा भू० अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बोरदा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज० की जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की खाता संख्या नयी 69 व पुरानी 69 की खसरा संख्या 28 रकबा 3.90 हैक्टेयर, कुल किता 1 का कुल रकबा 3.90 हैक्टेयर भूमि मे वादी का नाम मेघराज पुत्र गोपाल के स्थान पर मेघश्याम उर्फ मेघराज पुत्र गोपाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावें।

डिक्री मेंरे दस्तखत व मोहर से आज दिनांक ...14/2/25... को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्रमनामा			बाबत इजराय हुक्रमनामा		
मुत०			मुत०		
मिलान			मिलान		

Raminwar

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

इटावा

इटावा